राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांक : प.8 (53) RSSB / प.आ. / पू.प्रा.शि.अ. / सी.भ.प. / 2018 / 50 दिनांक 21/01/2019

संशोधित–विज्ञप्ति

"पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 " के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि

राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–1998 एवं संशोधित नियम,2011 के अन्तर्गत निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान, जयपुर के लिए **"पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक"** के कुल 1310 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1000 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 310) पदों पर भर्ती के विषय में बोर्ड की पूर्व विज्ञप्ति समसंख्यक कमांकः 23 दिनांकः 11.01.2019 द्वारा सूचित किया गया था कि "उक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांकः 10.02.2019 (रविवार) को प्रातः 08:30 बजे से प्रातः 11:30 बजे के मध्य सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जावेगा।

अपरिहार्य कारणों से "पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक" के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांकः 10.02.2019 को आयोजित नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है । अब यह भर्ती परीक्षा दिनांकः 10.02.2019 के स्थान पर दिनांकः 24.02.2019 (रविवार) को प्रातः 08:30 बजे से प्रातः 11:30 बजे के मध्य आयोजित की जावेगी।

इस परीक्षा के लिए ई–प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड करने की तिथि बाबत् अलग से सूचित कर दिया जावेगा । आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति / विज्ञापन के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। अतः परीक्षा में नकल / प्रतिरूपण कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झाँसे / बहकावे में नहीं आवें। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल एवं प्रतिरूपण के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।

परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें । बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे ।

..........2 / –

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें ।

(डॉ. बी0 एल0 जाटावत)
अध्यक्ष